<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2022 (राजस्व अपील)
GCMS No. 2022/4

अनवान

1. मैसर्स राजेन्द्र सिंह भाम्बु इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड,108, नीलकण्ठ बिल्डिंग गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर जरिये मैनेजर हेमन्त चौधरी पिता रामप्रसाद जाट, निवासी चौसला।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री लोकेश जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

<u>अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार झाडोल, प्र.स. 12/2021 आदेशिका दिनांक 12.10.2021, दिनांक 28.10.2021, 17.11.2021 एवं 25.11.2021 प्रकरण पटवारी रिपोर्ट कोल्यारी बनाम मैसर्स राजेन्द्र सिंह भाम्बु प्राईवेट लिमिटेड, कार्यवाही अर्न्तगत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>

* <u>निर्णय</u> *

दिनांक— 19-05-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 91, एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत् दर्ज विरूद्ध आदेश तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 12.10.2021, दिनांक 28.10.2021, 17.11.2021 एवं दिनांक 25.11.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया, यह कि अपीलान्ट ने अपना एक क्रेशर गिट्टी प्लान्ट वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि मौजा देवडावास पटवार हल्का कोल्यारी भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोल्यारी तहसील झाडोल जिला उदयपुर की आराजी संख्या 41 को खाता धारक श्री वरदा पिता माना तीरगर से जरिये किराया चिट्ठी पर प्राप्त कर अपना प्लान्ट स्थापित किया जिस पर उसकी मशीनरी आदि स्थापित थी। उक्त प्लान्ट को संबंधित विभागों की स्वीकृति प्राप्त कर स्थापित किया तथा हाईवे का सम्बन्धित कार्य हाने से उक्त प्लान्ट को अपीलान्ट द्वारा मौके से काफि समय पूर्व हटा दिया गया, परन्तु उक्त आराजी पर प्लान्ट के कुछ हिस्से एंव माल पडा रह गया जो गिट्टी लगभग 10 टन, क्रेशर मशीन 1, कन्टेनर 20 फीट बाई 5 फीटएवं लोहे की चद्दर जो 12 फीट बाई 6 फीटएवं कन्टेनर 6 फीटबाई 2 मीटर तथा 8 टन रेती आदि अपने उक्त आराजियात पर खुले अवस्था [illegible] पडे हुए थे। यह कि इसी दौरान पटवारी पटवार हल्का कोल्यारी ने एक [illegible] तहसीलदार फलासिया को पेश करते हुए मौके पर अनायास ही आराजी संख्या 42 पर [illegible] माल पड़ा होना बताते हुए प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार झाडोल द्वारा प्रकरण दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 17:27:29 IST
Reason: SelfAttested

08.10.2021 को दर्ज करते हुए नोटिस दिनांक 12.10.2021 का अपीलान्ट को प्रेषित किया जाना बताते हुए नोटिस दिनांक 12.10.2021 को अपीलान्ट की ओर से अनुपस्थिति दर्ज करते हुए सामग्री को जब्त कर तहवील में लेते हुए एंव दिनांक 25.11.2021 को उक्त सामग्री का नीलामी इश्तिहार जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये जिस पर तहसीलदार झाडोल द्वारा दिनांक 05.12.2021 को नीलामी इश्तिहार जारी किया गया जिसके अनुसार दिनांक 15.12.2021 को मौके पर नीलामी होने बाबत् आम सूचना प्रकाशित हुई जिसकी जरिये वॉट्सअप जानकारी अपीलान्ट को लगने पर उसके द्वारा दिनांक 16.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त प्रकरण की पत्रावली के आदेशों एवं मौका रिपोर्ट आदि से सम्बन्धित प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 20.12.2021 को प्राप्त हुई एवं अपीलान्ट को ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबूझ कर गलत एवं असत्य आधारों पर आधारित रिपोर्टो एंव नोटिसो पर गलत कार्यवाही कर अपीलान्ट के उपकरण एंव माल का नीलामी इश्तिहार जारी कर दिया गया तथा उक्त प्रकरण के नोटिस की सूचना कभी भी अपीलान्ट को नहीं मिली। प्रथम बार ज्ञान नीलामी इश्तिहार से हुआ। यह कि प्रकरण दर्ज करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 08.10.2021 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी करने का आदेश किया जिसके अनुसार दिनांक 18.10.2021 को अपीलान्ट को जबाबदेही हेतु उपस्थित होना था। उक्त नोटिस दिनांक 18.10.2021 हेतु जारी किया लेकिन दिनांक 12.10.2021 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय में पत्रावली लेकर अपीलान्ट की तामील बताते हुए अनुपस्थिति दर्ज की एंव सामग्री को राजकीय तहवील में लेने के आदेश पारित कर दिया। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस कभी भी अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि अपीलान्ट को जारी नोटिस दिनांक 18.10.2021 की पेशी बाबत् जारी किया हुआ पत्रावली में लगा हुआ है जिसके पीछे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट है जो नोटिस दिनांक दिनांक 10.12.2021 को किसी भागचन्द नाम के व्यक्ति को तामील कराया जाना बताया है। भागचन्द नाम का व्यक्ति न तो अपीलान्ट की कम्पनी में कार्यरत है, न ही उक्त कम्पनी से कोई सम्बन्ध रखता है, न ही इस नाम के व्यक्ति से कोई लेना देना है। यहा तक कि नोटिस की तामील दिनांक 10.12.2021 का बताया है तथा 12.10.2021 को ही अनुपस्थिति अपीलान्ट की दर्ज कर दी। इस प्रकार आनन फानन में बगैर किसी अपीलान्ट के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया जो काबिले अपास्त होने योग्य है। यह कि अपीलान्ट का प्लान्ट आराजी संख्या 42 पर लगा हुआ होना बताया है। जबकि समस्त उपकरण सामग्री आराजी संख्या 41 पर पडी हुई थी। एक मौका रिपोर्ट दिनांक 01.10.2021 भी पेश हुई है जिसके अनुसार मौके पर किसी भी स्वतन्त्र गवाह के कोई हस्ताक्षर नहीं है, न ही अपीलान्ट की उपस्थिति सुनिश्चित की है।उक्त मौका रिपोर्ट भी आनन फानन में अपीलान्ट को तंग एंव परेशान करने की गरज से बनायी हुई होना स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। यह कि मौका रिपोर्ट 01.10.2021 के अनुसार भी मौके पर प्लान्ट को बन्द ह[illegible]या हुआ होना बताया है। यदि उक्त आदेशो को अपास्त नहीं किया गया तो गलत कार्यवाही पर आधारित प्रोसिडिंग करते हुए अपीलान्ट के समस्त उपकरण एंव सामग्री को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नीलाम कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 17:27:29 IST
Reason: SelfAttested

जावेगा जिसकी क्षति अपीलान्ट को होगी। इसलिए समस्त आदेशों को अपास्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण मे पृथक से जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार झाडोल से मूल पत्रावली संख्या 12/2021 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार झाडोल द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताया कि फर्म द्वारा नेशनल हाईवे 58 ई अपग्रेडेसन, 2 लाईन वीथ पैवर्ड, सोल्डर फोम झाडोल मे अम्बावेली तक सडक निर्माण हेतु क्रेशर प्लान्ट डामर प्लान्ट, एच. एस.डी. कन्जूमर डीजल पम्प आदि एन.एच. 58 से संबंधित कार्य हेतु संबंधित विभागों की स्वीकृती प्राप्त कर कार्य किया गया था। उस दौरान वादी फर्म को वाहन व उपकरण रखने एंव कार्य करने हेतु ग्राम देवडावास के खातेदार श्री वरदा पिता माना तिरगर के खातेदारी की औधोगिक ईकाई प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तनशुदा भूमि आराजी नम्बर 1045/41 रकबा 0.16 हैक्टर, व आराजी न. 1046/69 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि का खातेदार की स्वीकृति से उपयोग करते हुए कार्य किया गया था, अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया जाना, कि प्रथम बार ज्ञान नीलामी इश्तिहार से हुआ। यह कि प्रकरण दर्ज करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 08.10.2021 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत नोटिस जारी करने का आदेश किया जिसके अनुसार दिनांक 18.10.2021 को अपीलान्ट को जबाबदेही हेतु उपस्थित होना था। उक्त नोटिस दिनांक 18.10.2021 हेतु जारी किया लेकिन दिनांक 12.10.2021 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय में पत्रावली लेकर अपीलान्ट की तामील बताते हुए अनुपस्थिति दर्ज की एंव सामग्री को राजकीय तहवील में लेने के आदेश पारित कर दिया। जारी नोटिस दिनांक 18.10.2021 की पेशी बाबत् जारी किया हुआ पत्रावली में लगा हुआ है जिसके पीछे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट है जो नोटिस दिनांक दिनांक 10.12.2021 को किसी भागचन्द नाम के व्यक्ति को तामील कराया जाना बताया है। भागचन्द नाम का व्यक्ति न तो अपीलान्ट की कम्पनी में कार्यरत है, न ही उक्त कम्पनी से कोई सम्बन्ध रखता है, यह कि अपीलान्ट का प्लान्ट आराजी संख्या 42 पर लगा हुआ होना बताया है। जबकि समस्त उपकरण सामग्री आराजी संख्या 41 पर पडी हुई थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उक्त निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावें। जब्तशुदा उपकरण एवं सामग्री लोटाये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 17:27:29 IST
Reason: SelfAttested

बहस मे भाग लेते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि मौजा देवडावास के बिलानाम आराजी संख्या 42 रकबा 0.64 हेक्टेयर, कि[illegible]गरी होकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय मे प्राप्त होने पर

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा नियमानुसार 91 की कारवाई कर मौके पर उक्त भूमि पर पडी सामग्री को जब्त करने का आदेश प्रदान किया है, जो नियमानुसार हैं। भूमि पर कब्जा करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डर शीट दिनांक 08.10.2021 मे भी अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करना एवं पेशी पर उपस्थित नहीं होना स्पष्ट है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.2021 एवं तदनुसार आदेश दिनांक 28.10.2021, 17.11.2021, 25.11.2021 आदि समस्त आदेशो को यथावत रखा जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण मौजा देवडावास के बिलानाम आराजी संख्या 42 रकबा 0.64 हेक्टेयर, किस्म मगरी पर अतिक्रमण करने से संबंधित है। अपीलान्ट ने अपने अपील प्रथम पेरा में ही उक्त आराजी सं. 41 के प्लान्ट के कुछ हिस्से एंव माल पडा रह गया जो गिट्टी लगभग 10 टन, क्रेशर मशीन –1, कन्टेनर 20 फीट बाई 5 फीट एवं लोहे की चद्दर जो 12 फीट बाई 6 फीट एवं कन्टेनर 6 फीट बाई 2 मीटर तथा 8 टन रेती आदि उक्त आराजीयात पर खुले अवस्था में मौके से हटाये जाने बाबत पडे हुए होना स्वीकार किया है। पटवारी ने उक्त सामान आराजी न. 42 पर बताया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि उक्त कार्यवाही के नोटिस के तामिल सम्यक रुप से नहीं हुयी है। नोटिस की तामील दिनांक 10.12.2021 अंकित है जो किसी भागचन्द नाम के व्यक्ति को तामील किया गया है उक्त व्यक्ति की समस्त जानकारी तथा अपीलान्ट से संबंध अंकित नही किया गया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के तहत सुनवायी का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः तहसीलदार, झाडोल के आदेश दिनांक 12.10.2021 एवं उसके पश्चात जारी समस्त आदेश निरस्त किये जाते है तथा पत्रावली तहसीलदार, झाडोल को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट को सुनवायी का उचित अवसर दिया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करे। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार झाडोल के न्यायालय में दिनांक 07.06.2022 को पेश हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे। मूल पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को लौटायी जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 17:27:29 IST
Reason: SelfAttested